

समाहरणालय, मधेपुरा  
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संबन्धित सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-63(स0अनु0) आ/प0, दिनांक-06.07.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जैर योजना मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण रहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुवाहिक रहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से निरत हेतु अनुदान विपत्र कोड-N2245021010016 मद में कुल मो0-30,000/- (तीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नप्रकारे उपारंभित किया जाता है :-

क्र० सं०	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	30,000=00	30,000=00
	कुल-	-	30,000=00	30,000=00

(मो0-तीस हजार रुपये) मात्र

उपावंटन की शर्त :-

- 1) यह आवंटन दिनांक-25.05.2016 को एक भैंस की मृत्यु वज्रपात से होने के कारण मृत पशु के पशुपालक, श्री शशिभूषण झा को भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
- 2) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जैर योजना मुख्य वज्र शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण रहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुवाहिक रहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से निरत हेतु अनुदान विपत्र कोड-N2245021010016 मांन संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विपलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगी।
- 4) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रांतवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रतः शीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।


- 15) अपायदित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निचयसी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- 16) उपरोक्त उपावटन वित्त विभागीय झापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अवशेष पालन किया जाए।
- 17) यदि उपरोक्त उपावटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्राचार्य दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इससे लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

- इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

झापांक : ५९७ / आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक : २५ / ०७ / २०१६

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।  
२०/७/१६